

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला- राजसमन्द

प्रार्थी पैलोना सरमा विपक्षी रमेश चन्द
 किस्म मुकदमा 158/21 पत्रावली संख्या जा. 43 पद _____

क्रमांक	कार्यवाहक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाएं जारी की गईं
	<p><u>24/10/2024</u> पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>28/11/2024</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p>	
	<p><u>28/11/2024</u> पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>26/12/2024</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p>	
	<p><u>26/12/2024</u> पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैलोना सरमा उपस्थित। अग्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित/उपलब्ध में पत्रावली पत्रवाले के नाम की कतिमान मौन रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली के पत्रावली वाले बहम दिनांक 19/02/25 को पेश हो।</p>	
	<p><u>19/02/25</u> पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैलोना सरमा उपस्थित, अग्रार्थी रमेश चन्द पेशी को हेराल्ड स्वयं द्वारा प्रेषित किया गया कि नाम पैलोना सरमा के आर 86 में पेश</p>	

0.0400 ईम्वेरा शुद्धि (मिलन)
अर्थात् प्रयोग प्रयोग किया जा
रहा था का पैराफेरी (मिल) से होने
से नगरपालिका अनाधिकार होने
से रणान्तरण करा नठ पाकीका
देवाठ ले कीडाल्ड परा प्राप्त
कर लिया गया।

अतः यला अखन के भाग,
28 का रकबा 0.0400 ईम्वेरा
शुद्धि नहीं रहने ले राजठ अ.
राजठ माथे 1956 कि धारा
177 लागू नहीं रहेली ई 3 मल
माथे की धारा 177 शुद्ध व निष्पत्तावी

बी अतः वाद अन्तगत धारा 177
स्थायी किया जाता है, परावकी
कैलठ सुमार लोक नम्बर ले कम
लोक दाखीक फलत ले, निठार्य
लेरे ईजलाख बुनाया गया

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला-राजसमन्द